Power to the People Series-2

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) की आवश्यकता और कांग्रेस, भाजपा की नीतियों का पर्दाफाश

बी.डी. बोरकर
अध्यक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक)

प्रकाशक
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

Central Office: 111, Astha Complex, Dahej Bypass Road,
Nandelav, Tal. & Dist. Bharuch, Gujrat-392001

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) की आवश्यकता और कांग्रेस, भाजपा की नीतियों का पर्दाफाश

लेखक : **बी.डी. बोरकर**
अध्यक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक)

प्रकाशक
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

Central Office: 111, Astha Complex, Dahej Bypass Road,
Nandelav, Tal. & Dist. Bharuch, Gujrat-392001

प्रथम आवृत्ति : सितम्बर, 2018 (1000 प्रतियां)

सहयोग राशि 15/- रुपए

वितरक
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

Central Office: 111, Astha Complex, Dahej Bypass Road,
Nandelav, Tal. & Dist. Bharuch, Gujrat-392001

वितरण कार्यालय
962/ई, 100 फुटा रोड, केनरा बैंक के पास, लिटिल फ्लावर
इंटरनेशनल स्कूल के सामने, बाबरपुर, दिल्ली-110032

मुद्रक
ए.बी. प्रिंटर्स, 3954, गली अहिरान,
पहाड़ी धीरज, दिल्ली-110006

सामाजिक आंदोलन का इतिहास

यह सर्वमान्य इतिहास है कि लगभग 1500 बीसी के आस-पास आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था और गैर-बराबरी पर आधारित अपनी 'चार्तुवर्ण' की प्रणाली को जबरन भारतीयों पर थोपा, अर्थात् भारतीय समाज को चार वर्णों में विभाजित किया और विशाल मूलनिवासी बहुजन समाज को अंतिम वर्ण अर्थात् शूद्र में रखा। उन्हें उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करने का काम सौंपा और उनको शिक्षा (ज्ञान बल), अस्त्र-शस्त्र रखने (शस्त्र बल), और सम्पत्ति (धन बल) के अधिकार से वंचित कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आर्य लोग साम, दाम, दंड एवं भेद की नीति से किसी तरह सत्ता पर काबिज तो हो गए परंतु उनकी दो समस्याएं थीं। पहली कि वे संख्या में कम थे और दूसरी कि वे बहुसंख्यक मूलनिवासी बहुजन समाज को ज्यादा समय तक नियंत्रित कैसे रखें? इसलिए कुछ अंतराल बाद आगे चलकर उन्होंने इस शूद्र वर्ण के लोगों को भी अछूत शूद्र एवं सछूत शूद्र में वर्गीकृत कर इनको श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धान्त पर 6000 जातियों में विभक्त कर दिया। क्योंकि उनका यह मानना था कि यदि मूलनिवासी बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोग एकजुट बने रहेंगे तो वे वापस उभर सकते हैं और राजनीतिक सत्ता को छीन सकते हैं और अपनी मूल वैज्ञानिक, समतावादी एवं लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को फिर से स्थापित कर सकते हैं जैसा कि वे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से पालन कर रहे थे।

तथागत बुद्ध पहले और सबसे बड़े समाज क्रांतिकारक हैं, जो क्षत्रिय नहीं बल्कि इस देश के मूलनिवासी थे। भारत मे सामाजिक सुधार का इतिहास उनके साथ प्रारम्भ होता है और भारत में सामाजिक सुधार का कोई भी इतिहास उनके महान उपलब्धियों का संज्ञान में लिए बिना पूर्ण नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने आर्यन सोशल सिस्टम के चार्तुवर्ण की व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक क्रांति लायी। उन्होंने वैदिक संस्कृत के जन्मना सिद्धांत

को नकार कर्मणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और गैर-बराबरी पर आधारित वर्णव्यवस्था के सिद्धांत को नकारकर समतावादी और मानवतावादी दर्शन समाज में स्थापित किया। लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का महान कार्य उन्होंने अपने भिक्खु संघ के माध्यम से किया। बुद्ध द्वारा स्थापित समतावादी और मानवतावादी दर्शन को सम्राट अशोक सहित मौर्य वंश के सभी राजाओं ने पालन किया। 185 बी.सी. में पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण ने घुसपैठ करके मौर्य वंश के दसवें उत्तराधिकारी बृहद्रथ का सेनापति बनकर एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसका कत्ल कर दिया। शुंग राज्य में प्रतिक्रांति हुयी और सामवेदी ब्राह्मण सुमति भार्गव द्वारा मनुस्मृति लिखी गयी इसके पश्चात श्रेणीबद्ध असमानता की व्यवस्था को एक बार फिर पूरी कठोरता से भारतीय बहुसंख्यक समाज पर लागू किया गया। कई राजवंशों ने मनुस्मृति के तहत भारत पर शासन किया। इसके बाद गुप्त काल आया, जो मूलनिवासी बहुजनों के लिए इतिहास का काला अध्याय है।

मुगलों ने इतिहास के मध्यकाल के दौरान भारत पर शासन किया। ब्राह्मणों ने मुगलों से एक समझौते के तहत हाथ मिलाया कि वे इस शर्त के साथ मुगलों का समर्थन करेंगे कि मुगल श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था, जिससे कि शूद्र वर्गों के अधिकारों की कीमत पर ब्राह्मण वर्ग असीमित भौतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को आनंद उठा सके, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यद्यपि कि इस्लाम मूसावाद (समता) की बात करता है फिर भी मुगलों ने ब्राह्मणों से समझौते की शर्तों के कारण मनु की कानूनी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया और शूद्रों पर होने वाले अत्याचार से मुक्ति दिलाने का कुछ भी प्रयास नहीं किया और उन पर मनुस्मृति के तहत जातिगत गैर-बरबरी का व्यवहार और अन्याय-अत्याचार पहले की भांति ही जारी रहा। इस गैर-बराबरी के व्यवहार, अन्याय-अत्याचार और ब्राह्मणी अंधविशवास एवं पाखंडवाद के विरुद्ध मूलनिवासी बहुजन समाज के विभिन्न संतों एवं गुरुओं ने आवाज उठाई और इसे चुनौती दी और कुछ हद तक मूलनिवासी बहुजन समाज को इससे मुक्ति दिलाई। मध्यकालीन संतों एवं गुरुओं में चोखामेला, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक और संत तुकाराम इत्यादि संतों एवं गुरुओं ने अपने-अपने क्षेत्र में मनु विधान को चुनौती दी।

इसके बाद अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने बंगाल से अपना विजय अभियान प्रारम्भ किया। अंग्रेजों ने शूद्र एवं अति शूद्र वर्ग के लोगों को अपनी सैन्य सेवा में भर्ती होने का अवसर दिया और स्थानीय राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अधिकतर छोटे-छोटे प्रांतों पर धीरे-धीरे कब्जा कर लिया। इसी अवधि के दौरान सिद्धनाक ने 500 (ज्यादातर महार एवं कुछ शूद्र समाज) सैनिकों के साथ 'सेकंड बटालियन फर्स्ट रेजीमेंट ऑफ बॉम्बे नेटिव इन्फैंट्री' के कप्तान स्टैन के नेतृत्व में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में 1 जनवरी 1818 को पेशवा की 28000 सेना को उनके द्वारा अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर करने का बदला लेने के लिए उन्हें हराया। यद्यपि महारों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी और जीती थी लेकिन वे महार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति कृतज्ञ नहीं रहे और अंग्रेजों ने भी ब्राह्मणों की पहल पर ब्रिटिश सेना में उनकी भर्ती 1892 में बंद कर दी और फिर पहले विश्व युद्ध के दौरान 1917 में थोड़े अंतराल के लिए भर्ती प्रारम्भ की, लेकिन इसे तुरंत बंद कर दिया गया, जिसे पुनः 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रयासों के बाद ही संशोधित किया गया।

राष्ट्रपिता फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना कर सेठजी एवं भट्टजी के ब्राह्मण-बनिया गठजोड़ के विरोध मे शूद्र एवं अतिशूद्र को संगठित किया और गैर-बराबरी पर आधारित ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार किया। सत्यशोधक समाज के आंदोलन के अनुयायियों द्वारा, आंदोलन का विघटन कर 1934 मे फैजपुर, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा किया गया। बाबा साहब ने घोषित किया कि वह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सामाजिक क्रांति के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए उनके एकमात्र अनुयायी हैं और फिर उन्होंने इस आंदोलन को व्यवस्थित ढंग से चलाया। जब उन्हें भारत का संविधान लिखने का सुअवसर मिला, तो उन्होंने न केवल शूद्र एवं अतिशूद्र वर्ग के लोगों के अधिकारों को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के रूप में संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षित किया बल्कि भारत के प्रत्येक पुरुष एवं महिला नागरिकों के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत क्रांति एवं प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है।

वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यः

राष्ट्रीय दलों द्वारा निभाई गई भूमिका

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी, जिस पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था यद्यपि कि इसका नेतृत्व श्री एम.के. गांधी कर रहे थे, के हाथों में राजनीतिक शक्ति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आई। गैर-जागरूक शूद्र एवं अतिशूद्र वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की चारआने की सदस्यता एकमात्र उम्मीद से ली थी कि उन्हें भी आजादी मिलेगी। भारत को आजादी मिली, लेकिन शूद्र एवं अतिशूद्र ब्राह्मणवाद की दासता से मुक्त नहीं हुये और उनकी गुलामी निरंतर जारी रही। यद्यपि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय का सिद्धांत संविधान के मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में अंतनिर्हित है फिर भी कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के शासनकाल में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण कभी भी संविधान को उसके मूलभावना के अनुरूप लागू नहीं किया और शूद्र एवं अतिशूद्र वर्ग को उनकी हालत पर छोड़ दिया। वे 'पिछड़े वर्ग के नागरिकों' (शूद्र एवं अतिशूद्र) के प्रतिनिधित्व (आरक्षण) के मौलिक अधिकार का विरोध करते रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए सांप्रदायिक विभाजन के लिए हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भड़काते रहे हैं। कांग्रेसी तेलगु ब्राह्मण नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल के दौरान वीएचपी और आरएसएस जैसे कट्टर हिंदुत्व संगठनों से साथ साँठ-गाठ करके उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया।

भारतीय जनता पार्टी

राजनीतिक सत्ता पहली बार 1999 में और फिर 2014 में हिन्दू कट्टरपंथी पार्टी भाजपा के पास दो बार आई। उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1992 में क्रियान्वित उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के एजेंडा को न केवल जारी रखा बल्कि आक्रामक रूप से लागू किया। इससे यह निसंदेह साबित हुआ कि तथाकथित उच्च जातियों के हितों की रक्षा के लिए आर्थिक नीतियां पेश करने और कार्यान्वित करने के लिए इन दोनों दलों में मिलीभगत और गुपचुप गठजोड़ है। यह लोग शैक्षिक संस्थानों और राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के आरक्षण के मौलिक अधिकार का भी जोरदार ढंग से विरोध कर रहे हैं और कोई न कोई बहाना लेकर इसे निष्प्रभावी कर रहे

हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए हर प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ये हिंदू-मुस्लिम दंगों का षड्यंत्र कर रहे हैं, और किसी न किसी बहाने अल्पसंख्यकों (मुसलमानों, ईसाई, सिक्ख और बौद्धों) की हत्या कर रहे हैं। ये आरएसएस और इसके अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लोगों को और अल्पसंख्यकों को आतंकित कर रहे हैं। उनके पास राम मंदिर, गोरक्षा, आरक्षण विरोध, पाकिस्तान विरोध एवं मुस्लिम नागरिकों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको पाकिस्तान भेजने जैसे एकसूत्रीय कार्यक्रम हैं और इसके लिए भारतीय सेना की सेवाओं का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। आज राष्ट्र संविधान विरोधी प्रतिक्रांति के चरण से गुजर रहा है।

सी.पी.आई. और सी.पी.एम.

साम्यवाद का एक दर्शन के रूप में मानना है कि सभी संपत्ति समाज के स्वामित्व में है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार योगदान देता है और जरूरतों के अनुसार राशि प्राप्त करता है। देश मे शासन के लिए संविधान द्वारा बनाए गए राज्य और लोकतंत्र की अवधारणा में यह विश्वास नहीं रखता है। यद्यपि कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपनी विचारधारा के तहत राजनीतिक शक्तियों को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वे पिछले 100 वर्षों में सत्ता कब्जा करने मे बुरी तरह विफल रहे हैं। इसके अलावा, वे श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने का दावा करते हैं, फिर भी मजदूरों की हालत में सुधार नहीं हुआ है, जहां प. बंगाल में उनका 35 साल एकछत्र राज रहा।

राज्य स्तरीय दल

किसी भी विचारधारा के बिना कई राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियां हैं, द्रविड़ दल को छोड़कर, जो कि पेरियार रामासामी नायकर की अगुवाई में द्रविड़ कजगम आंदोलन की उत्पाद हैं, लेकिन वे भी अपने अवरोधों के कारण अपने राज्य की सीमा पार नहीं कर पाये।

छोटी-छोटी पार्टियां

इसके अलावा सांप्रदायिक एवं जातियों के आधार पर भी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल है, जो कि अपनी जातियों या समुदायों के हितों की रक्षा के लिए बनाये गये है, लेकिन मतदाताओं ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है

क्योंकि ये समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अपील नहीं कर रहे हैं।

अम्बेडकरवादी राजनीतिक दलों की स्थितिः

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया

अपने जीवन के अंतिम समय में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन हेतु पार्टी का संविधान तैयार किया और इसमें वह समाज के वंचित वर्ग के हर व्यक्ति के हितों की रक्षा करना चाहते थे। इस प्रयोजन हेतु उन्होंने 1956 में ''राजनीति में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण स्कूल'' स्थापित किया, जिसका उद्देश्य रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) में प्रवेश बिंदु (entry point) के रूप में कार्य करना था। स्कूल के पहले बैच में 15 छात्र थे। परंतु इसका पहला बैच ही आखिरी बैच रहा क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद स्कूल बंद हो गया।

रिपब्लिकन पार्टी ने 1957 में आम चुनाव लड़ा और इसके 9 सांसद भारत की संसद में चुने गए। पार्टी का नेतृत्व दादासाहेब गायकवाड़ के हाथों में आ गया और पार्टी में झड़प प्रारम्भ हो गई। उनके नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की चेतावनी कि 'कांग्रेस जलता हुआ घर है' को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और उनमें से कुछ कांग्रेस में शामिल भी हो गए। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा एकता के महत्व पर ध्यान दिलाने के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी दस से अधिक समूहों में विखंडित हो गई है। 14 अप्रैल 1947 को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की 55वीं जयंती उनके जीवनकाल में मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहब के योगदान को बताने के लिए 'जय भीम' नामक पत्रिका मद्रास से प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के अनुरोध पर बाबा साहब ने इसमें अपना लिखित संदेश दिया जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक इस दिन ही बाबा साहब दिल्ली में थे और यहां उन्होंने अपने अनुयायियों को संदेश देते हुये कहा कि-

''मैं आशा करता हूँ कि कभी तो हमारे समाज को समझ आयेगी और जब समझ आयेगी तब हम वह सब कुछ हासिल कर लेंगे, जो हम चाहते हैं। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है हमारा संगठन। आप सबको यह याद रखना चाहिए कि सभी राजनीतिक अधिकार जो हमें अपने सतत

प्रयासों से मिल रहे हैं, वह एक अवधि के लिए ही है। एक ऐसा समय आएगा जब ये सारे अधिकार, हमारे ही नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के समाप्त हो जायेंगे। जब ये सारे अधिकार समाप्त हो जायेंगे तब हमें जिस पर निर्भर रहना होगा, वह है हमारा संगठन, हमारी संगठन शक्ति और हमारी एकता। इसलिए हमें अपनी एकता का संकल्प लेना चाहिए।''

प्रत्येक समूह के नेतृत्व में अहंकार है। वे समाज हित की बजाय स्व-हित के पीछे भागते हैं। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का घोषणापत्र जारी करते हुए दी गई चेतावनी के बावजूद वे स्वयं के हितों को पूरा करने के लिए वैचारिक समझौते करते हैं। उन्होंने कहा,

''शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का किसी भी प्रतिक्रियावादी पार्टी जैसे हिंदू महासभा या आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी भी, जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करना और इसके स्थान पर तानाशाही लाना है, के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा।''

एक टुकड़े का नेता, अपने निजी हित के लिए आरएसएस की राजनीतिक विंग भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया है। दूसरे टुकड़े के नेता की सत्तारूढ़ दल के आशीर्वाद से अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हो गयी है। कुछ लोग कम्युनिस्टों के साथ घूम रहे हैं। मैं इन समूहों में से प्रत्येक के कामकाज करने के गैर-प्रजातांत्रिक तौर-तरीके पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इन सबके वावजूद भी यह लोग कह रहे हैं कि वे अम्बेडकरवादी आंदोलन चला रहे हैं।

बहुजन समाज पार्टी

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मामलों की दुखद स्थिति को देखकर डी.के. खापर्डे साहब स्वयं पीड़ाग्रस्त थे और उन्होंने अपने सहयोगी मा. कांशीराम को पुणे रक्षा प्रतिष्ठान में इस पीड़ाग्रस्त स्थिति के बारे में जानकारी साझा किया। इसलिए उन्होंने संयुक्त रूप से पिछड़े वर्ग (एससी /एसटी/ओबीसी) और इनसे धर्म-परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों के एक संगठन का निर्माण किया और उन्हें उनके सामाजिक दायित्व निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया और फिर आगे चलकर अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया।

मा. खापर्डे साहब संगठन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलाना चाहते थे जबकि मा. कांशीराम ने एक तानाशाही दृष्टिकोण अपना लिया था और इसलिए जून 1986 में मा. खापर्डे साहब और मा. कांशीराम अलग हो गए। तब मा. खापर्डे साहब ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कर्मचारियों के एक संगठन का विकास किया, जबकि मा. कांशीराम ने बसपा में एक तानाशाह के तरीके से काम करना जारी रखा। पार्टी 90 के दशक के शुरुआती दौर में यू.पी. राज्य विधानसभा में कुछ सीटों पर कब्जा करने और एम.पी. की कुछ सीटों पर कब्जा करने में सफल रही। पार्टी का नेतृत्व मा. कांशीराम के जीवन काल के दौरान सुश्री मायावती को हस्तानांतरित कर दिया गया। उन्होंने तानाशाही तरीके से काम करना जारी रखा और ब्राह्मणवादी ताकतों के साथ वैचारिक समझौता करके यू.पी. में राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया। यद्यपि वह, सरकार और पार्टी संगठन में ब्राह्मणवादी शक्तियों के प्रभुत्व के कारण बहुजन जनता को राहत देने में नाकाम रही। नेतृत्व के तानाशाही रवैये के कारण समर्पित कार्यकर्ताओं ने या तो पार्टी छोड़ दिया या फिर उन्हे पार्टी से हटा दिया गया। उनमें से कुछ अपने स्वयं के हित में अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो गए जबकि उनमें से कुछ ने अलग-अलग राजनीतिक दलों का गठन किया है। लेकिन इन लोगों ने अभी भी सबक नहीं लिया और अभी भी अपनी-अपनी पार्टी में तानाशाही तरीके से काम करना जारी रखा है। सारांश यह है कि आरपीआई या बसपा के नेता जो इन पार्टियों को छोड़ चुके हैं और अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो चुके हैं, ऐसे सारे नेता स्वयं या अपने परिवार के हित के लिए काम करने लगे हैं, और समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के वैचारिक राजनीतिक आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए बिल्

कुल भी इच्छुक नहीं हैं।

उपरोक्त पृष्ठिभूमि के आलोक में पूरे भारत के मूलनिवासी बहुजन समाज के शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने पिछले दो वर्षों से वंचित वर्ग की समस्याओं पर मंथन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि एक राजनीतिक दल की शुरूआत करने की आवश्यकता है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत पर कार्य करे- जैसी परिकल्पना डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की थी। तद्नुसार

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) को नागपुर से शुरू किया गया, जो अंबेडकरी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है।

वर्तमान आर्थिक नीतियां मूलनिवासी बहुजन समाज के लिए हानिकारक

अर्थव्यवस्था हर इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेब में पैसे के बिना कोई सम्मानित जीवन नहीं जी सकता। इसलिए हर किसी को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आमदानी के स्रोत तलाशना पड़ता है। पृथ्वी ही आमदानी का मुख्य स्रोत है। जैसे मां एक बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही पृथ्वी भी हर इंसान और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव-जन्तु, प्राणी की देखभाल करती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की भूमि को अपनी मातृभूमि कहते हैं। वनस्पति सहित पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी ब्रह्मांड के इतिहास में बच गए।

जब राष्ट्र एवं राज्य की अवधारणा उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध 1895 में आई, तो राष्ट्र एवं राज्य संबंधित राष्ट्र की धरती के जमीन के एकमात्र मालिक बन गये और मानव को उसके जीवन के लिए जरूरी पृथ्वी से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों से वंचित कर दिया गया, इसलिए वे अपने अस्तित्व के लिए राज्य (सरकारों) पर निर्भर हो गए। सभी प्राकृतिक संसाधनों को अपने अधीन लेने के बाद लोकतांत्रिक राष्ट्रों एवं राज्यों ने उन संसाधनों को नागरिकों के बीच समुचित वितरण और शासन को विनियमित करने के लिए संविधान तैयार किया है। जहां तक हमारे भारतीय संविधान की बात है तो इसने तय किया है कि शासन का सबसे अच्छा तरीका है नागरिकों के बीच राज्य संसाधनों का समान रूप से वितरण हो, जो सभी को न्याय प्रदान करे। लेकिन विचाराधीन बिंदु यह है कि संविधान के लागू होने के 68 वर्षों बाद भी हर नागरिक को राज्य के संसाधनों में अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, क्यों? कुछ लोग अकूत धन इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे लोग दिन-दर-दिन समृद्ध होते जा रहे हैं, जबकि बहुत लोग दो समय के भोजन से भी वंचित हैं।

इस दुखद स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यहाँ जानवरों का साम्राज्य है या वे लोग जिम्मेदार है जो लोग देश का शासन-प्रशासन चलाने में शीर्ष स्थान पर हैं? निश्चित रूप से जो लोग राष्ट्र के शासन के मामलों में शीर्षस्थान पर हैं या तो वे बेवकूफ हैं, जो संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं या वे संविधान के प्रति बेईमान हैं। हमारी समझ में वे मूर्ख नहीं हैं

क्योंकि वे खुद को पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान होने का दावा करते हैं। इसलिए केवल एक ही बात शेष है कि वे संविधान के प्रति बेईमान हैं। जब तक ऐसे बेईमान लोग राष्ट्र के मामलों में शीर्ष स्थान पर बने रहते हैं, समाज के बड़े हिस्से के वंचित वर्गों के लिए आर्थिक न्याय एक मृगतृष्णा है। वे जानबूझकर संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के प्रावधानों के विपरीत आर्थिक नीतियां तैयार कर रहे हैं। वास्तव में वे जानबूझकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत कुछ लोगों के हाथों में धन एवं संसाधन के संकेंद्रण (concentration) के लिए आर्थिक नीतियां तैयार कर रहे हैं। कुछ स्पष्ट उदाहरण निम्नानुसार हैं।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरणः

नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार, जिसमें डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, द्वारा भारत मे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को 1991 में लागू किया गया।

उदारीकरणः शासन की प्रक्रिया में उद्योगों की स्थापना और व्यापार के संचालन में राज्य का नियंत्रण था। संविधान लागू होने के बाद भी उद्योग और व्यवसायों को ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के वैश्य (बानिया) वर्ग द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता रहा क्योंकि कांग्रेस विशाल जनसमूह का आर्थिक शोषण जारी रखना चाहती थी। उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों ने प्रचार किया कि उद्योग और व्यवसायों पर राज्य के नियंत्रण के कारण इसमें वृद्धि नहीं हो रही, जिससे देश की अर्थव्यवस्था राजस्व से वंचित होती जा रही है। नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर उद्योग और व्यवसायों को शासन के नियंत्रण से मुक्त किया गया। औद्योगिक और उनकी सत्यता और वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाये बिना व्यावसायिक लाइसेंस उदारतापूर्वक जारी किए गये और सार्वजनिक वित्त संस्थानों से असुरक्षित ऋण प्रदान किया गया। उनमें से कुछ तो केवल कागज पर ही मौजूद थे। यह नीति अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा भी जारी रखी गई जो कांग्रेस और भाजपा के बीच गठजोड़ का स्पष्ट प्रमाण है कि जब भी समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करने की बात आती है तो दोनों एक है। इसका ही परिणाम है कि जून 2018 तक, सरकारी खजाने की कीमत पर लगभग 12.00 लाख

करोड़ रुपए का गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) जो संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा साझा किया गया।

अब भाजपा सरकार ने लोकसभा में 'फाइनेंस रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल,' 2017 को बेल-इन क्लाज के साथ अगस्त 2017 में पेश किया है और इसके क्लाज (52) के तहत बैंक और बीमा कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने, पूंजी की बहाली बैंक की परिसंपत्ति को जमाकर्ताओं के पैसे से सुरक्षा देकर दिवालियापन को रोकने का प्रावधान किया गया है। क्लाज 52 के तहत प्रस्तावित रेजोल्यूशन कार्पोरेशन बैंक या बीमा निगम को अधिकार देता है कि बैंक या बीमा कंपनियों द्वारा देय देनदारी को रद्द करने का और जनता की जमाराशि का हिस्सा बैंक के शेयर में ट्रांसफर कर हानिग्रस्त बैलेंस शीट को बदलने का प्रावधान किया है। जहां तक बैंक में जमाकर्ता के पैसे की सुरक्षा का सवाल है यह एक बहुत ही खतरनाक प्रावधान है। शासन उद्योगों पर नियंत्रण की अपेक्षा उदारीकरण से जनता के हित को खतरे में डाल रहा है और बैंक ऋण के बड़े बकाएदारों की मदद कर रहा है और जिसके परिणामस्वरूप एनपीए बढ़ रहा है।

निजीकरणः पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) वे सरकारी कंपनिया या निगम हैं, जिनमें केंद्रीय सरकार की हिस्सेदारी/शेयरों का निवेश 51 प्रतिशत से अधिक होते है। ये या तो वाणिज्यिक संस्थाएं हैं जैसे कि सरकारी बैंक या बीमा निगम या विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों जैसे सेल या तेल निकालने वाली कंपनियां जैसे कि ओएनजीसी लि. या विनिर्माण और वाणिज्यिक निगम जैसे इंडियन ऑइल, बीपीसीएल या एचपीसीएल आदि। इन कंपनियों में जब तक सरकार की हिस्सेदारी या शेयर 51 प्रतिशत या उससे अधिक होता है, तब तक इनका स्वामित्व हमेशा सरकार के पास रहता है और इसलिए तब तक सभी सरकारी सेवा में भर्ती की नीतियां इन उद्यमों या निगमों पर लागू होती हैं। सरकार का शेयर या हिस्सेदारी जिस पल 50 प्रतिशत से कम हो जाती है, स्वामित्व निजी हाथों में चला जाता है और उसके बाद वे अपनी इच्छा से कंपनी का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

1991 के बाद से निजीकरण की वजह से सरकार ने इन निगमों/उद्यमों में चरणबद्ध तरीके से विनिवेश (सरकारी हिस्सेदारी को बेचना) शुरू किया।

अब तक कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 1991 से 2017 तक 254 सार्वजनिक पीएसयू/सीपीएसई की कुल रुपये 398154/- करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति, यह बहाना बनाकर कि ये घाटे में चलने वाली इकाइयां हैं, बेच दी है जिसके फलस्वरूप बड़े संख्या मे लोग बेरोजगार हो गए है। सरकार की संपत्ति की बिक्री यानी विनिवेश वर्ष 2017-18 के लिए का लक्ष्य 71,105 करोड़ रुपये है। भाजपा की अगुवाई वाली वाजपेयी सरकार (1999-2004) ने चार कंपनियों का विनिवेश किया - भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) और हिंदुस्तान जिंक (दोनों स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बेच दी) और वीएसएनएल (टाटा समूह को बेची) और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अब श्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा सरकार एयर इंडिया को बेचने की तैयारी कर रही है। मार्च 2010 के अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कुल संख्या घटकर 217 पर आ गई, जिसमें से संचयी निवेश के 5,79,920 करोड़ रुपए में से 197750 करोड़ रुपए का विनिवेश किया था, जो कि कुल निवेश का 34.1 प्रतिशत है, जिससे 34 प्रतिशत कर्मचारियों को औद्योगिक और व्यापारिक भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया। एक अशिक्षित व्यक्ति भी अपनी जमीन या संपत्ति या निवास तब तक नहीं बेचता जब तक वह अत्यंत संकट में नहीं होता। वह एक या दो दिन के लिए भूखे रहना पसंद करता हैं और अपने श्रम से अपनी रोटी कमाने की कोशिश करता हैं लेकिन तथाकथित बुद्धिमान लोगों के नेतृत्व वाली यह सरकार ने राष्ट्रीय संपत्तियां बेच दीं और 34 प्रतिशत कर्मचारियों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने इन लोगों की और उनके परिवारों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की।

वैश्वीकरणः यह वैश्विक औद्योगिक और व्यापारिक निवेशकों के लिए भारतीय बाजार खोलने की नीति है। द्विपक्षीय व्यापार की नीति के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भिन्न-भिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। इसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन समझौते है जिस पर विश्व के अधिकतर व्यापारिक देशों के बीच बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं और हर देश ने अपने संसद में इसकी पुष्टि की है। इसका उद्देश्य माल और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को उनके व्यवसाय के संचालन में मदद करना है। भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय

बाजार में माल की मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार मूल्यों को विनियमित करने का प्रावधान है।

विश्व व्यापार संगठन तय करेगा कि दुनिया के किस हिस्से में किस माल का विपणन किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन करने के लिए प्रमुख प्रस्तावक यूएनओ हैं। जिस पर विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जो विकसित देशों द्वारा नियंत्रित होता है जिनमें यू.एस.ए., यू.के., जर्मनी, फ्रांस आदि शामिल हैं और जिनकी इन संस्थानों में जमा उच्च राशि है। ये विकसित देश, विकासशील देशों पर अपने अप्रत्यक्ष आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि विकासशील देशों को विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है। इस प्रक्रिया में भारत ने आर्थिक संप्रभुता खो दिया है। विश्व व्यापार संगठन समझौते को भारत अगर अस्वीकार करता है तो भारत को विकास के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं मिलेगा, या तो विकसित देश तकनीकी जानकारी प्रदान नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) या विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के माध्यम से निवेश नहीं करेंगे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) Foreign direct investment (FDI)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत में विदेशी नागरिकों या संस्थाओं द्वारा व्यवसाय में निवेश किया है। यह 100 प्रतिशत तक भी हो सकता है जहां कंपनी का स्वामित्व विदेशी नागरिकों के पास हो, इसे पूरी स्वामित्व वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। एक विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक के साथ समझौता करके, समझौते की शर्तों के आधार पर भारतीय कंपनी मे 10 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक निवेश कर सकता है। विदेशी नागरिक भारतीय बाजार में भारतीय शर्तों पर तकनीकी जानकारी और पैसा इसलिए निवेश कर रहे हैं जिससे कि वे भारतीय बाजार पर कब्जा कर सके, सस्ते श्रम का उपयोग कर सके और अधिकतम लाभ प्राप्त करके उसे अपने देश ले जा सके।

विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई):

विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों द्वारा किया निवेश है। इस हेतु विदेशी कंपनियों को निवेश करने

के लिए केवल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है। एफआईआई निवेश केवल द्वितीयक बाजार में ही होता है। एफआईआई के जरिए आने वाली पूंजी किसी भी समय वापस जा सकती हैं क्योंकि विदेशी नागरिक कभी भी अपने शेयर बेच सकते हैं। इसलिए ही इसे उड़ान पूंजी के रूप में भी कहा जाता है। एफआईआई के माध्यम से आने वाले पूंजी पर विकास के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हानिकारक है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):

पूरे विश्व में और देश मे भी अर्थशास्त्री जीडीपी से ही अपने विकास को मापते हैं। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (2011-12) के कान्सटैंट कीमतों पर वर्ष 2016-17 में वर्ष 2015-16 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 113.58 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 121.65 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। जीडीपी वर्ष 2016-17 में वर्तमान कीमतों पर 2015-16 के लिए 136.75 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षा 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 152.51 लाख करोड़ रूपए का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (अक्टूबर 2016) के मुताबिक 2016 में भारत की जीडीपी वर्तमान कीमतों में 2,251 अरब डॉलर थी। भारत विनिमय दर के आधार पर विश्व की कुल जीडीपी का 2.99 प्रतिशत योगदान देता है। भारत विश्व की कुल आबादी का 17.5 प्रतिशत है और दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत हिस्सा है। भारत अब दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के आधार पर, भारत की अर्थव्यवस्था 8,720.5 अरब डॉलर है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की कुल जीडीपी (पीपीपी) का 7.32 प्रतिशत योगदान भारत का है।

वर्तमान कीमतों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के दौरान रुपए 126041 प्रति वर्ष और रूपए 10503 प्रति माह है। जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय इस मामले मे भ्रामक है क्योंकि यह भारत में वास्तविक गरीबी की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। यह एक औसत आय है और इसमें मुकेश अंबानी की आय रुपये 125 लाख प्रति माह और एक भिखारी

की आय जो कि प्रतिदिन रुपये 50 भी नहीं हो सकती या 1500/- प्रति माह हो सकती है, दोनों शामिल है। दूसरी बात कि जीडीपी सरकार की आय नहीं है। यह देश में रहने वाले सभी नागरिकों की व्यक्तिगत आय को जोड़कर कुल राशि है।

2011 की जनगणना के अनुसार, 41 प्रतिशत आबादी यानी 49.61 करोड़ नागरिक 18 वर्ष से कम आयु के है और 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है, जिनमें से अधिकांश गांवों में रहते हैं। यह 59.99 करोड़ जनसंख्या और परिवार की आमदनी में बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करती है जबकि प्रति व्यक्ति आय का औसत निकालते समय उनकी संख्या भी जोड़ी जाती है। जैसा कि स्थानीय नमूना सर्वेक्षण से देखा जाता है कि परिवार की कमाई करने वाले सदस्य की औसत आमदनी लगभग रुपये 5000 से 6000 तक है। इतने कम आय में परिवार का मुखिया परिवार के भोजन की जरूरतों की व्यवस्था भी नहीं कर सकता, बच्चों के गुणवत्तापरक शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिये जो कि इनके लिए दूर का सपना है। ये ज्यादातर सीमांत किसान या ग्रामीण भारत में रहने वाले भूमिहीन मजदूर हैं और संकट से न उबर पाने के कारण यह मजबूरी मे खुदकुशी जैसा कदम उठाते हैं। फिर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकारें देश के विकास के सूचक के रूप में जीडीपी को पेश करते है।

कुल बाह्य ऋणः

भारत में विदेशी ऋण 1993 के 263381.70 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 31/12/2017 में 495700 मिलियन अमरीकी डालर (3669900 करोड़ रुपये के बराबर) तक पहुँच गया है। प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 367 अमरीकी डालर है जो 25690 रुपए के बराबर है। 31/03/2017 को भारत सरकार पर बकाया आंतरिक और बाह्य ऋण और अन्य देनदारियों का कुल अनुमान रुपये 74,38,182 करोड़ राशि है। इसलिए प्रति व्यक्ति आंतरिक और साथ ही बाह्य ऋण कुल मिलकर रुपये 55097 हैं। पृथ्वी पर अपने को सबसे बुद्धिमान कहने वाले तथाकथित लोग इस देश को निरंतर ऋण के गर्त में डाल रहे हैं। वर्ष 2016-17 के लिए कुल राजस्व कर 177100 करोड़ रुपये था। पूरे राजस्व कर का उपयोग यदि उपरोक्त ऋण चुकता करने के लिए किया जाता है तो भी इसमे पांच साल लग सकते हैं जो कि व्यावहारिक रूप से असंभव

है। राज्य के अर्थव्यवस्था की ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद भी मा. सांसदों ने मई 2014 में जैसे ही भाजपा की नई सरकार बनी वैसे ही अपना वेतन 50000 प्रति माह, कार्यालय के काम में शामिल होने पर दैनिक भत्ते 2000 प्रति दिन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45000 प्रति माह और ऑफिस व्यय भत्ता 45000 प्रति माह तक बढ़ा लिया और ये आम नागरिकों के प्रति हमेशा लापरवाही बरतते रहते हैं।

रोजगार की समस्याएं/युवाओं की बेरोजगारी और उन्हें कैसे ठीक किया जाए?

वर्ष 2016 में भारत की कुल जनसंख्या 132 करोड़ थी। इस विशाल जनसंख्या के लिए कुल सरकारी कर्मचारी, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर और रक्षा कर्मियों को छोड़कर 2.15 करोड़ है, जिनमें से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 30.84 लाख हैं और शेष 1.85 करोड़ कर्मचारी विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन काम कर रहे हैं। इस प्रकार भारत में प्रत्येक 100,000 निवासियों के लिए 1,622.8 सरकारी कर्मचारी हैं। (अक्टूबर 2016 को अपडेट किया गया)

केन्द्रीय सरकार में कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या, 30,84 लाख, सिविल कर्मचारियों की स्थितिः-

उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार में सिविल कर्मचारियों की (समूह-वार) अनुमानित स्वीकृत और वास्तविक संख्यानिम्न हैः

स्वीकृत पदों की समूह-वार संख्या		**कार्यरत संख्या**
A(G)	100869	87960
B(G)	86840	76724
B(NG)	144454	113477
C(NG)	3352380	2806396
Total	3684543	3084530

इस प्रकार 6 लाख (38.84 - 30.82) नौकरियां हैं जिसमें स्वीकृत पदों की लगभग 20 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं जैसा कि अक्टूबर 2016 की स्थिति है। लेकिन बीजेपी सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ भी नहीं किया है, और इस प्रकार नागरिकों को सेवा एवं आय दोनों से वंचित किया जा रहा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में प्रदान किए गए चार्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

तालिका 23.3 (संख्या हजारों में)

Year	Employment Registration Exchanges, UEIGBx $	Placement	Vacancies	Submission Notified	Live made	Register
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006	**947**	**7289.5**	**177.0**	**358.2**	**3029.5**	**41466.0**
2007	**965**	**5434.2**	**263.5**	**525.8**	**3666.1**	**39974.0**
2008	**968**	**5315.9**	**305.0**	**570.8**	**3344.0**	**39112.4**
2009	**969**	**5693.7**	**261.5**	**419.5**	**2589.3**	**38152.2**
2010	**969**	**6186.0**	**505.4**	**706.9**	**3747.1**	**38818.5**
2011	**966**	**6206.3**	**471.5**	**819.7**	**5142.9**	**40171.6**
2012	**956**	**9722.2**	**427.6**	**682.8**	**2982.2**	**44790.1**
2013'	**956**	**5969.4**	**348.5**	**510.7**	**3002.1**	**46802.5**
2014	**978**	**5957.2**	**338.5**	**762.0**	**4220.4**	**48261.1**

लाइव रजिस्टर में कुल 482.61 लाख नौकरी तलाशने वालों में से, 311. 83 लाख नौकरी तलाशने वाले पुरुष हैं और 170.78 लाख नौकरी चाहने वाली महिलाएं हैं। वर्ष 2014 में नौकरी चाहने वालों की संख्या 59.7 लाख थी, जिनमें से 37.68 लाख पुरुष थे और 21.89 लाख महिलाएं थीं। इस अवधि के दौरान सरकार सिर्फ 3.39 लाख नौकरी चाहने वालों को रोजगार एक्सचेंजों के माध्यम से दे पायी थी, जिनमें से 0.61 लाख महिलाएं है।

यद्यपि वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, लेकिन भाजपा सरकार ने वर्ष 2016 और 2017 के आंकड़े जारी नहीं किए, क्योंकि उन्होंने सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी नौकरी पैदा नहीं किया या कोई भी प्लेसमेंट प्रदान नहीं किया है। फिर भी प्रधान मंत्री जी न्यूज द्वारा प्रसारित अपने हालिया साक्षात्कार में रोजगार और नियुक्ति के निर्माण के लिए पकौड़ा रोजगार की शेखी बघार रहे थे।

किसानों की समस्याएं

भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है - कृषि और संबद्ध, उद्योग और सेवाएं। कृषि क्षेत्र में कृषि (कृषि और पशुधन), वन और लकड़ी, मत्स्य पालन और संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। 1950-51

में सफल घरेलू उत्पादन में वर्तमान कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 51. 81 प्रतिशत था और 2013-14 तक यह घटकर 18.20 प्रतिशत हो गया जबकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा 57.03 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसी अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र का हिस्सा भी बढ़कर 24.77 प्रतिशत हो गया है। पिछले तीन वर्षों से 2016-17 तक बीजेपी शासन के दौरान, कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और घटकर 17.3 प्रतिशत हो गया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़कर 29.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का योगदान मामूली घट कर 54 प्रतिशत हो गया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारो ने लगातार कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया है, यद्यपि कि कृषि क्षेत्र में लगे ग्रामीण किसान एवं गरीब खेतिहर मजदूरों ने इन्हें समर्थन देकर शासन करने का अवसर दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों मूल रूप से तथाकथित उच्च जातियों और शहरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए लगातार ग्रामीण जनता को नजरअंदाज करते है और धोखा देते है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) जनता को शिक्षित करेगी और कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक साथ उजागर करेगी।

कृषि क्षेत्र छोटे और विखंडित भूमि-जोत की समस्याओं से ग्रस्तः 1970-71 में (भूमिजोत) होल्डिंग्स का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर था, जो 1980-81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर तक और 1995-96 में 1.50 हेक्टेयर तक हो गया। इसके अलावा भूमि धारको के असीम उप-विभाजन के कारण यह चौकाने वाली बात है कि 1990-91 में हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा 59 प्रतिशत मामूली (1 हेक्टेयर के नीचे) था जो कुल संचालित क्षेत्र के 14. 9 प्रतिशत के बराबर है।

और दूसरी 19 प्रतिशत छोटी जोत (1-2 हेक्टेयर) की है जो कुल संचालित क्षेत्र के 17.3 प्रतिशत हैं। गुणवत्तापरक बीज, खाद एवं सिंचाई के साधन की अन-उपलब्धता, मैकेनाइजेशन की कमी और रासायनिक उर्वरकों के भारी उपयोग से मिट्टी के क्षरण के कारण समस्याएं और आगे बढ़ी हैं। सरकारें लगातार कृषि क्षेत्र की अनदेखी कर रही हैं क्योंकि किसान और खेतिहर मजदूर ज्यादातर अशिक्षित हैं और शासन की जटिलताओं को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया कृषि क्षेत्र में ज्यादा पूंजी लगाने के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करेगी। यह सहकारी खेती के

जरिए भूमि के विखंडन की बजाय इसके एकत्रीकरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिससे कि इसे अधिक आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। अगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) सत्ता में आती है तो यह सहकारी कृषि सोसाइटी का निर्माण करेगी, उन्हें कृषि औजार मुहैया करायेगी और ग्रामीण युवाओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार रोजगार देगी।

संवैधानिक जनादेश

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में माना जाता है और समाज सुधारकों जैसे कि ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, रामास्वामी पेरियार नायकर, बिरसा मुंडाजी, संत रविदास जी, संत कबीर दास, गुरु नानक, नारायना गुरु, गुरु घासीदास सहित सभी समाज सुधारको के दृष्टिकोण के अनुसार संवैधानिक शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के संविधान ने हमारे देश में एक समतावादी समाज की कल्पना की है, जहां जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा और प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व मुहैया होगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में न्याय होगा। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया भारत में वास्तविक प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन चरित्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। संवैधानिक दर्शन ने न्याय सहित और न्याय के सिद्धांतों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सभी नागरिकों को मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एक विचारों के साथ ही अभिव्यक्ति का अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। संवैधानिक दर्शन और सिद्धांतों के अनुसार प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, संविधान का आदेश है कि नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

उपरोक्त संवैधानिक सिद्धांतों और हमारे संविधान के दर्शन के बावजूद, भारत में जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक जाति आधारित भेदभाव है, इसलिए, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया समाज के उपेक्षित वर्गों के सदस्यों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य और इन समुदायों से जो अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं, जिनके पास सार्वजनिक सेवाओं सहित

जीवन के अन्य क्षेत्र में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा संविधान नागरिकों को समान सुरक्षा का आश्वासन देता है। और नागरिकों को समानता का अधिकार है। इसलिए, संविधान ने सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों और हाशिए पर रह रहे समुदायों के लोगों को समान अवसर मुहैया कराने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य (और इन समुदायों से अन्य धर्मों में परिवर्तित लोग) भारत के संविधान द्वारा निर्धारित उचित संवैधानिक ढांचे के बावजूद पीड़ित हैं। इस लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य (और इन समुदायों से अन्य धर्मों में परिवर्तित लोगो) को सभी संस्थानों में पर्याप्त आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाने और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए कार्य करेगी।

संवैधानिक दर्शन बंधुत्व भाव स्थापित करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्ध है, जो व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करती है और यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी आश्वस्त करती है। ये संवैधानिक ध्येय भारतीय संविधान की योजना के तहत मूल लक्ष्य और उद्देश्य हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) भारत में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें अस्पृश्यता को समाप्त करके, बेगारी प्रथा का उन्मूलन करके, जबरन मजदूरी पर रोक लगाकर के, न्यायसंगत मजदूरी दिलवा करके और सभी नागरिकों को रोजगार और किसानों एवं मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सम्मानित जीवन मुहैया करने का प्रयास करेगी। हम समाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें जाति या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव न हो और हम भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और इन समुदायों से अन्य धर्मों में धर्मपरिवर्तित लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाकर जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए काम करेंगे।

आरक्षण को केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों तक सीमित कर दिया गया है। पार्टी मत, विश्वास या संप्रदाय का भेदभाव किये बगैर सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को एक समान लाभ के लिए काम करेगी। पार्टी सभी स्तरों पर प्रतिनिधि प्रणाली के लिए भी प्रयास करेगी और पदोन्नति में आरक्षण

के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काम करेगी, जो नीति बनाने वाले संस्थानों में समुचित प्रतिनिधित्व को आश्वस्त करेगी। पार्टी अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए भी सभी स्तरों पर प्रतिनिधि प्रणाली के लिए काम करेंगे और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान के लिए काम करेंगे, जो नीति बनाने वाले निकायों में उनके प्रतिनिधित्व को आश्वस्त करेगा। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) एक समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहारों को निष्प्रभावी करके, भेदभावपूर्ण सिद्धांतों के उन्मूलन के लिए काम करेगी।

महिलाओं की समस्याएं और उपचारात्मक उपाय

भारत का संविधान अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों में महिलाओं के अधिकारों और उनके साथ समानता के व्यवहार के लिए शक्तिशाली आदेश देता है और इस हेतु सकारात्मक कार्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान भी प्रदान करता है। भारत कई संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और मुख्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन में एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, तस्करी, दहेज आदि जैसे विभिन्न प्रकार के हिंसा की खबरों में वृद्धि हुई है। महिलाओं का बड़ा हिस्सा अभी भी कम भुगतान वाले अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा हैं। यहाँ पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) बहुत ज्यादा है, महिलाओं में कुपोषण, एनीमिया की समस्याएं है, वृद्धाश्रम देखभाल एवं सहायता प्रणाली की कमी है और सामाजिक सुरक्षा निवारण महिलाओं के लिए कमजोर है। यहाँ पर बच्चियों एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, स्वास्थ्य, गरीबी, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में रोजगार, मजदूरी एवं कार्यस्थल पर भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि महिलाओं की मुख्य समस्याएं है।

महिलाओं की एक लाख की आबादी के खिलाफ घटित अपराधों की कुल संख्या अर्थात् अपराध दर 2007 में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 53 प्रतिशत हो गई है। बलात्कार की घटनाओं के मामले में 2007 के बाद 88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अपराध दर में 1.8 से 6.3 की तेजी आई है। महिलाओं पर शील भंग करने के इरादे से हमलों की श्रेणी वाले अपराधों के मामले मे 119 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यह श्रेणी जो

धारा 354 के तहत आती है। 2013 में चार नए अपराध शामिल करके इसे विस्तारित किया गया था। अपराध की दर तो बढ़ी है जबकि इसके विपरीत सजा की दर 10 वर्ष से कम ही रही है। यह वर्ष 2007 में 4.2 प्रतिशत थी। बलात्कार के आरोपियों में, सजा दर 4.7 से बढ़कर 25.5 हो गई-अर्थात् बलात्कार के आरोपी पुरुषों में से एक चौथाई को दोषी ठहराया जाता है। इसलिए, तीन-चौथाई बलात्कार के शिकारी महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 का मसौदा यद्यपि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न उपायों और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करने की जोरदार ढंग से बात करता है लेकिन यह नीति भी कागज पर ही सिमट कर रह गई क्योंकि महिलाओं पर होने वाले अपराध की दर बढ़ गई है और उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक) सत्ताधीन सरकारों पर दबाव डालकर उपरोक्त नीतियों को लागू कराने का प्रयास करेगी। जब हमारी पार्टी सत्ता में आयेगी तो महिलाएं जो देश की आधी आबादी है को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उनका वाजिब हक उनके साथ न्याय हो और समता का व्यवहार सुनिश्चित करेगी।

जब हमारी पार्टी सत्ता में आयेगी तो संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून पारित करके सभी ऐसे शास्त्रों पर प्रतिबंध लगायेगी। पार्टी का मानना है कि ऊपर दर्शाए हुए सभी समस्याओं की जड़ गैर-बराबरी आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। पार्टी इस व्यवस्था को जड़मूल से हटाकर संविधान पर आधारित जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी की व्यवस्था स्थापित करेगी। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक) भारत के सभी नागरिकों से अनुरोध करती है कि उसे तन, मन और धन से सहयोग करके अपने हित में सत्ता में लायें।

❖❖❖❖❖